

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी**

पत्रांक : 701 /37, वन भूमि हस्तान्तरण /2021-22, रामनगर, दिनांक, अगस्त 16-2021  
सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,  
अस्थायी खण्ड, (प्रोप0),  
लो0नि0वि0, चन्दौली।

**विषय :** जनपद चन्दौली के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत नौगढ़-धनकुंवारीकला से केसार सम्पर्क मार्ग के किमी0 0.00 से 22.80 किमी0 तक मार्ग निर्माण में प्रभावित 19.62 है0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ :** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/06/58/2021/एफ0सी0/295, दिनांक 10.08.2021 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या-482/11-सी-FP/UP/Road/35291/2018 लखनऊ, दिनांक 11.08.2021 तथा मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 कानपुर का पत्रांक 318/26-11, दिनांक 12.08.2021

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद-चन्दौली के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत नौगढ़-धनकुंवारीकला से केसार सम्पर्क मार्ग किमी0 0.00 से 22.80 किमी0 तक मार्ग निर्माण में प्रभावित 19.62 है0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित विभिन्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है -

Sl. No	Conditions	Status of Compliance
1	2	3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रस्तावक विभाग द्वारा बचनबद्धता प्रमाण पत्र अपेक्षित है।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	प्रस्तावक विभाग के स्तर से गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित की जायेगी।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 19.62 ha, equivalent non forest land in Jamsot Forest Block, Range Naugarh, District-Chandauli at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	प्रभावित आरक्षित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित धनराशि मु0 3054129.00 (रु0 तीस लाख चौवन हजार एक सौ उन्तीस) मात्र की <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> पर आन लाइन ई-पेमेण्ट पोर्टल के माध्यम से जमा की जानी है।
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or	प्रभावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि 19.62 है0 वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित की जानी है। वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि को वन विभाग के



	under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-11 approval.	नाम दर्ज कराते हुये आवश्यक अभिलेख यथा खतौनी सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरीत कराते हुये अनुपालन किया जाना है।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर वन भूमि के सर्वेक्षण, सीमांकन एवं स्थायी स्तम्भों के निर्माण की लागत हेतु मु0 85000.00 (रु0 पचासी हजार) मात्र की धनराशि आन लाइन ई-पेमेण्ट <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> पोर्टल के माध्यम से जमा की जायेगी।
6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 19.62 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	प्रभावित आरक्षित वन भूमि 19.62 है0 के सापेक्ष शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) मु0 15754860.00 (रु0 एक करोड़ सत्तावन लाख चौवन हजार आठ सौ साठ) मात्र प्रस्तावक विभाग द्वारा आन लाइन ई-पेमेण्ट <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> पोर्टल के माध्यम से जमा की जानी है।
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रस्तावक विभाग द्वारा बचनबद्धता प्रमाण पत्र अपेक्षित है।
8	DFO should submit a 'No violation Certificate while submitting compliance.	वन विभाग के स्तर से कार्यवाही की जायेगी।
9	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।
10	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु बचनबद्धता प्रमाण पत्र अपेक्षित है।
11	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु बचनबद्धता प्रमाण पत्र अपेक्षित है।
12	The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/ REC.	प्रस्तावक विभाग द्वारा बचनबद्धता प्रमाण पत्र अपेक्षित है।
13	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable,	प्रस्तावक विभाग द्वारा बचनबद्धता प्रमाण पत्र अपेक्षित है।



14	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रस्तावक विभाग द्वारा बचनबद्धता प्रमाण पत्र अपेक्षित है।
15	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रस्तावक विभाग द्वारा बचनबद्धता प्रमाण पत्र अपेक्षित है।
16	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रस्तावक विभाग द्वारा बचनबद्धता प्रमाण पत्र अपेक्षित है।
17	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer,	प्रस्तावक विभाग द्वारा बचनबद्धता प्रमाण पत्र अपेक्षित है।
18	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रस्तावक विभाग द्वारा बचनबद्धता प्रमाण पत्र अपेक्षित है।
19	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	प्रस्तावक विभाग द्वारा बचनबद्धता प्रमाण पत्र अपेक्षित है।
20	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रस्तावक विभाग द्वारा बचनबद्धता प्रमाण पत्र अपेक्षित है।
21	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रस्तावक विभाग द्वारा बचनबद्धता प्रमाण पत्र अपेक्षित है।
22	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	---
23	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	---
24	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).	प्रस्तावक विभाग द्वारा समस्त वांछित धनराशि कैम्पा फण्ड में आन लाइन ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से ही की जायेगी।
25	The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> )	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन आख्या परिवेश पोर्ट पर आन लाइन अपलोड करते हुए हार्ड कापी प्रभागीय कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ द्वारा सन्दर्भित पत्र दिनांक 10.08.2021 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के सापेक्ष समस्त शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन करते हुये अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि विषयगत प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही किया जा सके।

भवदीय,


  
(दिनेश सिंह),

प्रभागीय वनाधिकारी,  
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,  
वाराणसी।

पत्रांक : / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र० कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(दिनेश सिंह),

प्रभागीय वनाधिकारी,  
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,  
वाराणसी।